WEB COPY NOT OFFICIAL

न्यायालय :: न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांचौर, जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी – नवीन यादव, आर.जे.एस.
फौजदारी मूल प्रकरण संख्या– 426/2019
सी.आई.एस. सं. 1426/2019
सीएनआर. सं.– RJJL08-001893-2019

——

राजस्थान–राज्य

बनाम

केसाराम व अन्य

उपस्थितः–

1– विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी – राज्य की ओर से।
2– श्री महेंद्र कुमार वैष्णव – विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से।

:: अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 323 व 336/34 भारतीय दंड संहिता ::

–:: भाग प्रथम ::–

A

परिवादी	मींरा देवी
प्रस्तुतकर्ता	सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व पता	1. केसाराम पुत्र लाखाराम, 2. रूगनाथराम पुत्र लाखाराम, निवासीगण के.आर. बन्धाकुआ, पुलिस थाना सरवाना, जिला जालोर।
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री महेंद्र कुमार वैष्णव

B

–:: प्रकरण का संक्षिप्त विवरण ::–

अपराध की तिथि	22.10.2019
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	24.10.2019
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	24.12.2019
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	30.01.2021
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	07.04.2026
निर्णय की तिथि	06.07.2026
दंड दिए जाने की तिथि (यदि कोई हो तो)	——

C

–:: अभियुक्त का विवरण ::–

अभियुक्त की	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की	जमानत पर	अभियुक्त के आरोप	दोषसिद्धया	दिए गए दंड	धारा–428 दं.प्र.सं. के

WEB COPY NOT OFFICIAL

क्रम संख्या		दिनांक	छोड़े जाने की तिथि	का विवरण	दोषमुक्त	का विवरण यदि कोई हो तो	परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि
01.	केसाराम	——	——	498ए, 323, 336/34 भादस	दोषमुक्त	——	——
02.	रूघनाथराम	——	——	498ए, 323, 336/34 भादस	दोषमुक्त	——	——

—:: भाग द्वितीय ::—

—:: अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची ::—

अ. अभियोजन गवाहान

अभियोजन गवाह सं.	गवाह का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पीडब्ल्यू 1	मीरा	शिकायतकर्ता

ब. बचाव गवाह

रैंक	गवाह का नाम	साक्ष्य की प्रकार
——	——	——

स. न्यायालय गवाह

रैंक	गवाह का नाम	साक्ष्य की प्रकार
——	——	——

—:: अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची ::—

अ. अभियोजन प्रदर्श

क्र. सं.	प्रदर्श सं.	प्रदर्शित दस्तावेज का विवरण
1.	प्रदर्श पी 1	घटना की रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी 2	फर्द नक्शा मौका
3.	प्रदर्श पी 3	गवाह मीरा का चोट प्रतिवेदन
4.	प्रदर्श पी 4	गवाह मीरा के पुलिस बयान

ब. बचाव प्रदर्श

क्र. सं.	प्रदर्श सं.	प्रदर्शित दस्तावेज का विवरण

WEB COPY NOT OFFICIAL

	——	——

स. भौतिक वस्तुएं

क्र. सं.	प्रदर्श सं.	प्रदर्शित दस्तावेज का विवरण
	——	——

::निर्णय:: दिनांक– 06 जुलाई, 2026

1. प्रकरण का उद्भव परिवादीया मीरा देवी द्वारा दिनांक 24.10.2019 को पुलिस थाना सरवाना में दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 108/2019 से हुआ है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 24.10.2019 का प्रार्थिया श्रीमती मीरा देवी पत्नी केसाराम, निवासी के.आर. बंधाकुआ, पुलिस थाना सरवाना ने हाजिर थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि प्रार्थिया की शादी करीबन 20 साल पहले श्री केसाराम पुत्र लाखाराम, निवासी के.आर. बंधाकुआ के साथ हिंदू रीति–रिवाज के अनुसार हुई थी। प्रार्थिया का पीहर गांव डूंगरी है। प्रार्थिया के पिताजी का नाम कोजाराम पुत्र हीराराम है। शादी के बाद प्रार्थिया ससुराल में 5 साल तक ठीक रही, उसके बाद उसके एक पुत्री प्रियंका, उम्र 19 साल व पुत्र नरेश, उम्र 14 साल का जन्म हुआ। प्रार्थिया का पति शराब का आदी है, शादी के 05 साल बाद से प्रार्थिया का पति प्रार्थिया से लड़ाई–झगड़ा में मारपीट करने लगा तथा प्रार्थिया को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा तो भी प्रार्थिया लोकलाज से अपने बच्चों का पालन–पोषण करती रही। प्रार्थिया की लडकी प्रियंका 2 साल से जयपुर एसटीसी ट्रेनिंग कर रही है व लड़का पढ़ता है। प्रार्थिया के जेठ रूगनाथाराम व ससुर लाखाराम व जेठुता सुरेश कुमार पुत्र रघुनाथराम गत 2 साल से प्रार्थिया के पति को सिखाकर मारपीट करवाते हैं। प्रार्थिया का पति प्रार्थिया को घर से निकलने व पीहर से मायरा लाने की मांग करने लग गया व शराब के लिए पैसे देने के लिए हमेशा परेशान करता रहता है। दिनांक 22.10.2019 को प्रार्थिया का पति, जेठ, ससुर व जेठुता सुरेश कुमार ने झगड़ा किया व घर से निकलने को कहा तब प्रार्थिया अपने लड़की व लड़का को लेकर घर आए व रात्रि में सो गए। प्रार्थिया के पति घर नहीं थे। सुबह 06 बजे वे जगे उसके बाद प्रार्थिया का जेठुता सुरेश ने उसके पति को फोन कर बुलाया। प्रार्थिया व उसकी पुत्री अपनी भैंस दू रही थी, तब प्रार्थिया के पति आए और प्रार्थिया के साथ लाठी से मारपीट करने लगा, इतने में प्रार्थिया के जेठ रूगनाथराम व ससुर लाखाराम व जेठुता सुरेश कुमार दौड़कर आए व मारो–मारो का कहने लगे व उसके उपर पत्थर फेंकने शुरू किए। प्रार्थिया की लड़की प्रियंका पुत्र नरेश ने बीच–बचाव कर छुड़ाने की कोशिश की और प्रार्थिया की लड़की ने पुलिस को फोन किया तब वो लोग वहां से भाग गए। प्रार्थिया के जेठ ने पत्थर फेंका जो उसकी आंख पर लगा यह घटना घर के बाहर हुई है, फिर पुलिस मौके पर आई। उसका ईलाज व डॉक्टरी सांचौर ले जाकर करवाई, प्रार्थिया का पति उसकी भैंस को बेचने की फिराक में है व प्रार्थिया व उसके पुत्र–पुत्री को घर नहीं आने की धमकियां दे रहा है..... इत्यादि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थानाधिकारी पुलिस थाना सरवाना में अभियोग संख्या 108/2019 अंतर्गत धारा 498ए, 323 व 336/34 भारतीय दंड संहिता में पंजीबद्ध किया जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्त केसाराम व रूगनाथाराम के विरुद्ध

धारा 498ए, 323 व 336/34 भारतीय दंड संहिता का अपराध बनना पाये जाने पर आरोप प्रमाणित मानकर आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धारा के अपराध में प्रसंज्ञान लिया गया व प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. दिनांक 30.01.2021 को अभियुक्त केसाराम व रूगनाथाराम को अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 323 व 336/34 भारतीय दंड संहिता का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से उपर्युक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान् को परीक्षित करवाया गया तथा उपर्युक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाई गई।

5. इस स्तर पर पक्षकारान् के मध्य लोक अदालत की भावना से अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323 व 336/34 भादसं. में राजीनामा हो जाने से राजीनामा व राजीनामा अनुज्ञा प्रार्थना पत्र पेश हुआ। जिस पर अभियुक्तगण केसाराम व रूगनाथाराम को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323 व 336/34 भादसं. के आरोप से जरिये राजीनामा तस्दीक किया गया। दिनांक 07.04.2026 की आदेशिकानुसार अभियुक्तगण को 323 व 336/34 भा.द.सं. के आरोप से जरिये राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त घोषित कर दिया गया था। अतः अब अभियुक्तगण पर मात्र अपराध अंतर्गत धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप विचारणीय है।

6. प्रकरण के सभी गवाह के पक्षद्रोही हो जाने से एपीओ के निवेदन पर अभियुक्तगण के बयान मुल्जिम अंतर्गत 313 दं.प्र.सं. नहीं लिए गए।

7. बहस अंतिम सुनी गई। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने दौराने बहस निवेदन किया कि पत्रावली पर मौजूद मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर उचित निर्णय किया जाये।

8. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने दौराने बहस ने निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध को अभियोजन पक्ष अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। प्रकरण में गवाहान् के बयानात् में गंभीर विरोधाभास है एवं पारस्परिक सम्पुष्टि का अभाव है। अतः अभियुक्तगण को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जावे।

9. उभय पक्षकारान की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रकरण में न्यायालय के समक्ष निम्नांकित अवधार्य प्रश्न विचारणीय हैः–

> **1. ''क्या अभियुक्तगण ने प्रार्थिया मीरा देवी के विवाहित पति/नातेदार होते हुए शादी के कुछ समय बाद से ही प्रार्थिया के ससुराल सरहद मौजा बंधाकुंआ में प्रार्थिया से शराब के लिए पैसे देने व पीहर से मायरा लाने की मांग कर उसके साथ मारपीट कर उसे मानसिक व शारीरिक रूप से तंग–परेशान कर क्रूरता कारित की।**
>
> **2. यदि हां, तो अभियुक्त का उपयुक्त दण्ड क्या होगा ?**

10. उक्त विचारणीय बिंदु पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री का विस्तृत

विवेचन एवं विश्लेषण इस प्रकार हैं कि दिनांक 07.04.2026 को **गवाह मीरा पी. डब्ल्यू. 01** ने अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के कथन किए हैं कि आज से करीब 22–23 वर्ष पूर्व गवाह का विवाह केसाराम के साथ हिंदू रीति–रिवाज से हुआ था। विवाह से गवाह के 2 संतान है। विवाह के बाद गवाह के पति केसाराम व जेठ रूगनाथराम ने दहेज की मांग को लेकर गवाह को कभी तंग–परेशान व प्रताड़ित नहीं किया था, न ही कभी गवाह के साथ मारपीट की। उनके छोटी–मोटी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। **एपीओ के अनुरोध पर गवाह पक्षद्रोही घोषित रही है तथा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करता है। एपीओ के अनुरोध पर गवाह पक्षद्रोही घोषित रही तथा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करती है।** एपीओ के द्वारा की गई जिरह में गवाह इस कथन को सही होना स्वीकारती है कि पक्षकारों का आपस में सामाजिक स्तर पर राजीनामा हो गया है। **दौराने जिरह गवाह** इस कथन को सही होना स्वीकारती है कि उनके आपस में राजीनामा हो गया है। इस प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहती। गवाह से किसी ने दहेज की मांग नहीं की तथा न ही गवाह के साथ मारपीट की। रिपोर्ट में क्या लिखापढ़ी हुई गवाह को पता नहीं।

11. भारतीय आपराधिक न्यायशास्त्र का यह एक शाश्वत एवं अक्षुण्ण सिद्धांत है कि किसी भी आपराधिक कृत्य के अभियोग में अभियुक्त की दोषसिद्धि का संपूर्ण भार पूर्णतः अभियोजन पक्ष पर प्रतिस्थापित होता है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना अनिवार्य होता है। जब किसी दांडिक विचारण के अंतर्गत अभियोजन पक्ष के समस्त मुख्य साक्षी अथवा चक्षुदर्शी साक्षी अपने पूर्व बयानों से विमुख होकर पक्षद्रोही हो जाते हैं तो अभियोजन के कथानक की वैधानिक नींव पूर्णतः ध्वस्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की दोषमुक्ति के अतिरिक्त कोई विधिक विकल्प शेष नहीं रह जाता। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 (अब ''भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 180'') के अंतर्गत अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गए साक्षियों के कथन विधिक रूप से ''सारवान साक्ष्य'' की श्रेणी में नहीं आते हैं। इन बयानों का एकमात्र वैधानिक उद्देश्य विचारण के समय साक्षियों के न्यायालयीन कथनों का खंडन करना अथवा उनकी विश्वसनीयता का परीक्षण करना मात्र है। यदि कोई साक्षी विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर मुख्य परीक्षण में घटना के घटित होने या अभियुक्त की संलिप्तता से पूर्णतः इनकार कर देता है तो पुलिस के समक्ष दिए गए उसके पूर्व बयानों के आधार पर दोषसिद्धि की प्राचीर खड़ी नहीं की जा सकती। केवल पुलिस डायरी के कथनों को साक्ष्य मानकर किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण नहीं किया जा सकता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 154 (अब ''भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 158'') के अंतर्गत जब किसी साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायशास्त्र के अनुसार उसका संपूर्ण साक्ष्य स्वतः विलोपित या शून्य नहीं माना जाता। न्यायालय का यह विधिक दायित्व है कि वह पक्षद्रोही साक्षी के बयान से ''असार तत्वों से सत्य का पृथक्करण करे। यदि साक्षी के बयान का कोई अंश अभियोजन के कथानक की संपुष्टि करता है, तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। परंतु, यदि समस्त साक्षी घटना की मूल विषय–वस्तु, समय, स्थान और अभियुक्त की पहचान को ही सिरे से खारिज कर देते हैं, तो न्यायालय के पास सत्य की खोज के लिए कोई तार्किक आधार शेष नहीं बचता। जब अभियोजन के साक्षी पक्षद्रोही हो जाते हैं, तो साक्ष्य की कड़ियां बिखर जाती हैं और कड़ियों

WEB COPY NOT OFFICIAL

की यह श्रृंखला खंडित हो जाती है। **आपराधिक न्यायशास्त्र का स्वर्णिम सूत्र :– "भले ही सौ गुनहगार छूट जाएं, परंतु एक भी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए।"** साक्षियों के विरोधाभासी एवं प्रतिकूल बयानों के कारण उत्पन्न होने वाली अनिश्चितता अनिवार्य रूप से अभियुक्त के पक्ष में झुकेगी। न्यायालय केवल संशय, अनुमान, या नैतिक दृढ़ता के आधार पर किसी को दंडित नहीं कर सकता। **"संशय कितना भी गहरा क्यों न हो, वह वैधानिक साक्ष्य का स्थान ग्रहण नहीं कर सकता।"** फलस्वरूप, अभियुक्त को ''संदेह का लाभ'' प्रदान करते हुए ससम्मान दोषमुक्त करना न्यायालय का विधिक एवं संवैधानिक कर्तव्य हो जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अद्यतन निर्णयों में विचारण न्यायालयों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि साक्षियों के सामूहिक रूप से पक्षद्रोही होने की स्थिति में दोषमुक्ति का निर्णय किस प्रकार न्यायसंगत है :–

1. **<u>तलारी नरेश बनाम तेलंगाना राज्य (2026 INSC)</u> :–** यदि पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य का उपयोग दोषसिद्धि के लिए किया जा सकता है, तो इसके विपरीत उसका उपयोग दोषमुक्ति के लिए भी समान रूप से वैध है। यदि साक्षी का न्यायालयीन कथन अभियुक्त की निरपराधता या अभियोजन की दुर्भावना को दर्शाता है, तो वह दोषमुक्ति का सबसे सुदृढ़ आधार बनता है।

2. **<u>जयंतीभाई चतुर्भुजभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य (2025 INSC)</u> :–** प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल एक संपुष्टिपरक दस्तावेज है। यदि मुख्य शिकायतकर्ता और चक्षुदर्शी साक्षी न्यायालय में आकर अपने आरोपों को पूरी तरह नकार देते हैं, तो मात्र एफआईआर के आधार पर अभियुक्त को कारावास नहीं भेजा जा सकता। न्यायालय को यह पूर्वाग्रह नहीं पालना चाहिए कि साक्षी को अनिवार्य रूप से डराया या खरीदा गया है, जब तक कि उसका कोई पुख्ता प्रमाण न हो।

3. **<u>दादा अंकुश बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2025 INSC)</u> :–** विचारण न्यायालयों को पक्षद्रोही साक्षियों के उन कथनों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए जो बचाव पक्ष के तर्क का समर्थन करते हैं। यदि साक्षियों के मुकरने से घटना का पूरा परिदृश्य ही बदल जाता है तो अभियोजन का मामला स्वतः समाप्त माना जाएगा और अभियुक्त दोषमुक्ति का पूर्ण अधिकारी होगा।

12. निष्कर्षतः आपराधिक विचारण में साक्षियों का पक्षद्रोही होना अभियोजन पक्ष के लिए एक अपूरणीय क्षति है। जब तक कि मामले में कोई अकाट्य वैज्ञानिक साक्ष्य जैसे कि **''डीएनए रिपोर्ट, उंगलियों के निशान या अचूक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य''** उपलब्ध न हो, जो स्वतंत्र रूप से अपराध की श्रृंखला को पूर्ण करते हों, तब तक केवल मौखिक साक्षियों के मुकर जाने पर दोषसिद्धि असम्भव और पूर्णतः अवैधानिक है। अतः न्याय के सिद्धांतों को अक्षुण्ण रखने हेतु, विधिक तार्किकता और न्यायशास्त्रीय मर्यादा की मांग यही है कि समस्त साक्षियों के पक्षद्रोही होने की दशा में अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

13. हस्तगत प्रकरण में जब मुख्य परिवादी समेत सभी अभियोजन गवाह पक्षद्रोही हो चुके हैं एवं अभियोजन पक्ष की कहानी का कतई समर्थन नहीं करते हैं। साथ ही अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य कोई भी इस प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित नहीं किया है, जिसके आधार पर अभियोजन की कहानी को किसी भी प्रकार का कोई बल मिले। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

14. अतः उपर्युक्त समग्र विवेचन, विश्लेषण एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के विस्तृत मुल्यांकन के आधार पर न्यायालय की विमर्शित राय में अभियोजन पक्ष विरुद्ध अभियुक्तगण संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि

अभियुक्तगण ने प्रार्थिया मीरा देवी के विवाहित पति/नातेदार होते हुए शादी के कुछ समय बाद से ही प्रार्थिया के ससुराल सरहद मौजा बंधाकुंआ में प्रार्थिया से शराब के लिए पैसे देने व पीहर से मायरा लाने की मांग कर उसके साथ मारपीट कर उसे मानसिक व शारीरिक रूप से तंग–परेशान कर क्रूरता कारित की। अतः प्रकरण में अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 498ए भारतीय दंड संहिता के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

15. अतः **अभियुक्तगण केसाराम पुत्र लाखाराम व रूगनाथराम पुत्र लाखाराम, निवासीगण के.आर. बन्धाकुआ, पुलिस थाना सरवाना, जिला जालोर** को उनके विरुद्ध आरोपित **अपराध अन्तर्गत धारा 498ए भारतीय दंड संहिता** के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। दिनांक 07.04.2026 को अभियुक्तगण को **अपराध अंतर्गत धारा 323 व 336/34 भारतीय दंड संहिता** के आरोपों से पहले ही जरिये राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

16. अभियुक्तगण धारा 437ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दस–दस हजार रुपये का मुचलका प्रस्तुत करें कि इस प्रकरण में अपील/निगरानी होने की सूरत में वह स्वयं अपीलीय/निगरानी न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा।

17. प्रकरण में यदि कोई सम्पत्ति जब्त हो तो नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

(नवीन यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सांचौर, जिला जालोर

19. निर्णय आज दिनांक **06.07.2026** को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर उद्घोषित किया गया।

(नवीन यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सांचौर, जिला जालोर

नोट :– 01. निर्णय/आदेश की यह प्रति मात्र अधिवक्ता/पक्षकारों के पढ़ने के उद्देश्य से अपलोड की गई है। 02. सभी विधिक प्रयोजन हेतु निर्णय/आदेश की सत्यप्रति सामान्य (सिविल एवं दाण्डिक) नियम, 2018 के प्रावधानुसार न्यायालय से प्राप्त की जावें।